

**राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016**  
**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) "केन्द्रीय सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियां हैं;" और

(ii) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) "प्राथमिक सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी और जो

प्रमुख रूप से सदस्यों के रूप में व्यष्टियों द्वारा गठित हो;"।

**3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 10 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी सोसाइटी उसकी उपविधियों में ऐसा कोई संशोधन पारित नहीं करेगी, जो सोसाइटियों के वर्ग या उपवर्ग, जिसके अधीन सोसाइटी मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी, की उपविधियों के अनुकूल न हो।"

**4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 15 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 15 में, विद्यमान उप-धारा (4) हटायी जायेगी।

**5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 20 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, अभिव्यक्ति "धारा 30 के अधीन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 21 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 21 के विद्यमान उपबंध के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन.-** किसी सहकारी सोसाइटी में कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम पांचवें भाग तक, जो भी कम हो, धारण करेगा:

परन्तु किसी अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यष्टिक सदस्य इतने शेयर, जो सोसाइटी की उपविधियों में विहित किये जायें, या सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के

अधिकतम बीसवें भाग तक, जो कोई भी कम हो, धारण करेगा।"।

**7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 27 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

(i) उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोलह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान अंतिम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी की समिति में एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:";

(iii) उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोलह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "की सहावसानी होगी:" के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा, यदि वह ऐसी समिति के लिए निर्वाचित होने के लिए मूल पात्रता, जैसीकि नियमों में विहित की जाये, खो देता है:";

(v) उप-धारा (4) में इस प्रकार अन्तःस्थापित किये गये नये परन्तुक के पश्चात्, विद्यमान प्रथम और द्वितीय परन्तुकों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को सहयोजन द्वारा, विहित रीति से, उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति

हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है:

परन्तु यह भी कि यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा:";

- (vi) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "का हकदार होगा:" के पश्चात् और विद्यमान प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां धारा 29 के अधीन किसी सोसाइटी की समिति में नामनिर्देशित कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य, जो धारा 29 के अधीन समिति का नामनिर्देशित सदस्य है, का भी प्रभार धारित किये हुए है, वहां वह अपनी और ऐसे अन्य सदस्य की हैसियत से मतदान करने का हकदार होगा:";

- (vii) उप-धारा (5) के विद्यमान प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (viii) उप-धारा (5) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सदस्य ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना, अधिमानतः उसी दिन किन्तु किसी भी दशा में ऐसे संकल्प की

तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को देगा।"।

**8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 28 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 28 में,-

(i) उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु समिति की अवधि की समाप्ति के कारण धारा 30-ग के अधीन या गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति के कृत्यों में गतिरोध के आधार पर धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप-धारा के अधीन निरहित नहीं समझा जायेगा।";

(ii) मूल अधिनियम की विद्यमान उप-धारा (7) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (8) के पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा (7-क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(7-क) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में लगातार दो बार के लिए निर्वाचित या सहयोजित किया जा चुका है, जब तक कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत नहीं हो चुकी है:

परन्तु समिति के लिए एक बार निर्वाचित या सहयोजित समिति के सदस्य को इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए उसका पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हुआ समझा जायेगा, यहां तक कि यदि उसे पांच वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित या सहयोजित नहीं किया गया था या अपने पद का कार्यकाल, चाहे किसी भी कारण से, पूरा नहीं किया है।";

(iii) विद्यमान उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(9) कोई भी व्यक्ति एक साथ समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले से ही संसद का कोई सदस्य या राज्य विधान-मण्डल का कोई सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संसद या राज्य विधान-मण्डल में अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो पहले से ही किसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, संसद के किसी सदस्य या राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में

निर्वाचित हो जाता है तो संसद या राज्य विधान-मण्डल का सदस्य या, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या उप-प्रमुख या, किसी पंचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान या, किसी ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि उसने संसद या राज्य विधान-मण्डल की अपनी सदस्यता से, या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या, यथास्थिति, नगरपालिक निकाय में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे दिया हो।";

(iv) विद्यमान उप-धारा (11) और (12) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो-

- (i) अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में; या
- (ii) सोसाइटी के कार्यकलापों की किसी जांच के लिए धारा 55 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने या उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने में; या
- (iii) इस अधिनियम में या नियमों में इस हेतु नियत समय के भीतर-भीतर लेखा परीक्षक(कों) को नियुक्त करने और इसकी लेखा परीक्षा कराने में,

असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या ऐसे सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा।

(12) कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो नियमों में विहित की जाये, यदि कोई हो, प्राप्त नहीं कर लेता है।

(13) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि क्या समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपविधियों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अधीन हो गया है, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा:

परन्तु किसी सोसाइटी की समिति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की ऐसी निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसके नामांकन कागजपत्रों की संवीक्षा के दौरान विनिश्चित किया जायेगा।"

**9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 29-क और 29-ख का अन्तःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 29 के पश्चात् और विद्यमान धारा 30 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 29-क और 29-ख अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**"29-क. सहकारी सोसाइटी के अधिकारी और कर्मचारी.-**

(1) इस अधिनियम में कहीं भी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार सोसाइटियों के सुचारू कार्यकरण और उनके कर्मचारियों के सामान्य कल्याण के हित में किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में सामान्य निदेश जारी कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग में की सोसाइटियों के किसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य संवर्ग का गठन कर सकेगा और ऐसे संवर्ग के अधीन आने वाले कर्मचारियों की भर्ती, मानदेय, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तों से संबंधित अन्य



मामलों के संबंध में ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त भी तैयार कर सकेगा।

### 29-ख. सहकारी सोसाइटी के लिए भर्ती बोर्ड का गठन.-

(1) राज्य की सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों के चयन और भर्ती की सिफारिश के लिए, जैसाकि नियमों में विहित किया जाये, एक सहकारी भर्ती बोर्ड होगा, जिसे इस धारा में आगे बोर्ड कहा गया है।

(2) बोर्ड, अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इसका गठन सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) बोर्ड को, संबंधित सहकारी सोसाइटियों की अध्यक्षता और आवश्यकता को देखते हुए, चयन का मानदंड, प्रक्रिया, अभ्यर्थियों के चयन की सूची बनाने के लिए मानदंड विनिश्चित करने की शक्ति होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और/या साक्षात्कार संचालित करने या न करने और कैसे करने का विनिश्चय सम्मिलित होगा।

(4) जहां बोर्ड लिखित परीक्षा संचालित करने का विनिश्चय करता है वहां वह उसे स्वयं या किसी उपयुक्त विशेषज्ञता और प्रतिष्ठा वाली स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से संचालित करवा सकेगा।"।

**10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30-ख का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30-ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"30-ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.-** किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित सामान्य शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात्:-

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर;

- (ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले;
- (ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र; और
- (घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां।"।

**11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 31 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सोसाइटी की साधारण बैठक में" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (1) में, अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेंगे:" के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
- "परन्तु ऐसी सोसाइटियों में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी का सचिव और यदि कोई सचिव भी नहीं है तब सोसाइटी का अध्यक्ष, सोसाइटी के समस्त अभिलेख और सम्पत्ति का न्यासी समझा जायेगा:";
- (iii) उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

विद्यमान अभिव्यक्ति "सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(v) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रशासक या समापक" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "सचिव या अध्यक्ष या समापक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 33 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 33 में, विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो नियमों में विहित की जायें, सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगा:

परन्तु अन्य सोसाइटियों में निर्वाचन, नियमों में इसके लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, सोसाइटी की साधारण सभा की बैठक में करवाये जायेंगे।"

**13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 34 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 34 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटियों से ऐसी सूचना मंगवा सकेगा जो वह निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से निर्वाचन संचालित करवाने के लिए, आवश्यक पाये।

(2) किसी सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकारी द्वारा चाही गयी समस्त सूचना समय पर और विहित रीति से उपलब्ध करवायेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में आकस्मिक रिक्ति के बारे में प्राधिकारी को एक लिखित सूचना भी भेजेगा जिसके लिए प्राधिकारी, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन संचालित करवायेगा।"; और

- (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-धारा (1) के पश्चात्, विद्यमान उप-धाराओं (2), (3) और (4) को क्रमशः (4), (5) और (6) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा।

**14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 36 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"36. निर्वाचन व्यय.- किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय संबंधित सोसाइटी या उस सोसाइटी, जिससे ऐसी सोसाइटी संबद्ध है, द्वारा वहन किये जायेंगे।"

**15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 40 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 40 में,-

- (i) उप-धारा (3) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर, विराम चिह्न ":-" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां भूमि, सरकार या किसी नगरपालिक या किसी अन्य स्थानीय निकाय या सरकार के किसी भी अन्य संगठन द्वारा आबंटित की जाती है या पट्टे पर या किराये पर दी जाती है, वहां ऐसी भूमि संबंधित को वापस अभ्यर्पित हो जायेगी जहां सोसाइटी ने भूमि का ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे मूल रूप से आबंटित किया

गया था या पट्टे पर या किराये पर दिया गया था, उपयोग में लेना बन्द कर दिया है।"।

**16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 54 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी की समिति द्वारा उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी:

परन्तु जहां सोसाइटी की समिति किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति उसके लिए नियत समय में करने में विफल रहती है वहां रजिस्ट्रार, उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से, सोसाइटी की लेखापरीक्षा के लिए, किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कोई भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए, नियुक्त नहीं की जायेगी:

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रार, किसी आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग के लेखाओं की किसी विशिष्ट कालावधि के लिए लेखापरीक्षा करवाने के लिए लेखापरीक्षक(कों) या लेखापरीक्षा फर्म(मों) की नियुक्ति कर सकेगा, जो सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों के वर्ग पर बाध्यकारी होगा।";

(ii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (2)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (iii) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के विद्यमान उप-खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii) वह राजस्थान सरकार के सहायिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो, जो निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो; और";

- (iv) उप-धारा (6) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु उप-धारा (5) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षकों और उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक(कों) की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।";

- (v) विद्यमान उप-धारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को और रजिस्ट्रार को भी प्रस्तुत करेगी।";

- (vi) विद्यमान उप-धारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(12) यदि रजिस्ट्रार की जानकारी में यह बात आती है कि प्रथमदृष्टया, किसी सोसाइटी में कोई वित्तीय अनियमितता हुयी है तो रजिस्ट्रार, ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी अनियमितता होने का विश्वास है, विशेष लेखापरीक्षा करवा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा नियत समय के भीतर-भीतर करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा।"; और

(vii) उप-धारा (13) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुमोदन के पश्चात्," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उसकी अनुपालना रिपोर्ट" के पूर्व, अभिव्यक्ति "विहित रीति से," अन्तःस्थापित की जायेगी।

**17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 55-क का अन्तःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के पश्चात् और विद्यमान धारा 56 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 55-क अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**"55-क. रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण.-** (1) रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से, स्वयं के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लिखित आदेश से, किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, या उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) सोसाइटी से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसकी अबाध पहुंच होगी और ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों के कब्जाधारी या उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को, ऐसे स्थान और समय पर, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा

निदेशित किया जाये, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा; और

(ख) वह, ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसको विश्वास है कि वह सोसाइटी के किन्हीं भी कार्यकलापों के बारे में जानकारी रखता है, किसी भी स्थान पर उसके समक्ष हाजिर होने के लिए समन कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा।

(3) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य और कर्मचारी, जिनकी पुस्तकें इस धारा के अधीन निरीक्षित की जायें सोसाइटी के कार्यकलापों के संबंध में उनके कब्जे में की ऐसी सूचना देंगे, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

(4) रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी या सोसाइटी के किसी अधिकारी या उसके वित्तपोषण बैंक या किसी भी अन्य संगठन को ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो इसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्रकट की गयी कोई त्रुटि, यदि कोई हो, के उपचार के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट हो, निदेश दे सकेगा।"।

**18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 56 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 56 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो ऐसे बैंक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "की सिफारिश पर" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "की समिति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "के मुख्य कार्यपालक अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 61 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 61 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवेदन प्राप्त होने पर," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रार की जानकारी" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या अन्यथा," अन्तःस्थापित की जायेगी; और



- (ii) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बन्द कर दिया है" के पश्चात् और विराम चिह्न ";" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या अधिनियम या नियमों या इसकी उपविधियों के उपबंधों का बार-बार अतिक्रमण करता रहा है" अन्तःस्थापित की जायेगी।

**20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 64 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) में,-

- (i) खण्ड (ट) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ट) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ठ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, सोसाइटी के ऐसे दावों को, जो समस्त संभव प्रयासों के पश्चात् दावे अमोचनीय पाये जाते हैं, अपलिखित करना;

(ड) सोसाइटी के विरुद्ध किसी दावे को पूर्णतः या भागतः 'संदेय नहीं' के रूप में घोषित करना, जहां ऐसे दावों के संदाय के लिए सोसाइटी के पास मोचनीय स्रोत नहीं हैं;

(ढ) सरकार को, ऐसी रीति से जैसाकि विहित किया जाये, किसी स्थावर संपत्ति का अभ्यर्पण और अंतरण करना जहां रजिस्ट्रार की राय में ऐसा किया जाना व्यापक लोकहित में हो;

(ण) किसी स्थावर संपत्ति जैसे सामुदायिक केन्द्र को, जो उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा उनके सामान्य कल्याण और सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में

लिया जा रहा है, सरकार की विशेष अनुज्ञा से ऐसे निवासियों की किसी सोसाइटी को, जो इसकी उपविधियों में किन्हीं भी अन्य उद्देश्यों के बिना ऐसे निवासियों के सामान्य हित में अनन्य रूप से गठित की गयी है, इस आशय से न्यस्त करना:

परन्तु यदि यह पाया जाता है कि निवासियों की सोसाइटी को सामुदायिक क्रियाकलापों के लिए न्यस्त की गयी संपत्ति, ऐसे सामुदायिक क्रियाकलापों जिनके लिए इसे सोसाइटी को न्यस्त किया गया था, से भिन्न किसी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में ली जा रही है, तो ऐसी संपत्ति सरकार को वापस प्रतिवर्तित हो जायेगी:"; और

- (iii) विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**21. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 105 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (10) में,-

- (i) खण्ड (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 102" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 101" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (छ) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-  
 "(छ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 125 के अधीन पारित किसी विनिश्चय से,"।

**22. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 107 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार या सरकार इस उप-धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा/करेगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन, कोई अपील रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, सरकार को होती है।"

**23. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 109 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (2) में,-

- (i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iv) खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (v) खण्ड (ङ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vi) खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vii) खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (viii) खण्ड (ज) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

- (ix) खण्ड (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (x) खण्ड (ञ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xi) खण्ड (ट) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xii) खण्ड (ठ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiii) खण्ड (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xiv) खण्ड (ढ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xv) खण्ड (ण) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xvi) खण्ड (त) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xvii) खण्ड (थ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (xviii) खण्ड (द) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(xix) खण्ड (ध) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**24. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 123 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (ix) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (x) के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ix-क) सोसाइटी के किसी वर्ग के लिए सामान्य संवर्ग का, इसके लागू होने और गवर्नेन्स के नियमों को सम्मिलित करते हुए बनाया जाना;"।

**25. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 125 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 125 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.- यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके अधिकांश सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या इस अधिनियम, नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के विरुद्ध है या अन्यथा सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात्, संकल्प को विखंडित कर सकेगा।"।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम सं. 13) को निरसित करते हुए वर्ष 2002 में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) को अधिनियमित किया गया था। 2001 का अधिनियम 14 नवम्बर, 2002 से प्रवृत्त हुआ, तब से राज्य की सहकारी सोसाइटियों पर नयी विधि लागू हो चुकी है। इस अधिनियम को तब से समय-समय पर संशोधित भी किया जा चुका है।

अब पुनः, कारबार के विस्तार और राज्य में सोसाइटियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, कुछ नये आयाम प्रदान करने की दृष्टि से भी और सहकारी क्षेत्र में नया जोश भरने के लिए और उसी समय, सहकारी सोसाइटियों के गवर्नेन्स में सामने आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, यह महसूस किया गया कि 2001 के अधिनियम में कुछ और संशोधन किये जाने अत्यावश्यक हैं।

यथापूर्वोक्त इस प्रयास में, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 2, 10, 15, 20, 21, 27, 28, 30-ख, 31, 33, 34, 36, 40, 54, 56, 61, 64, 105, 107, 109, 123 और 125 को संशोधित किया जाना आवश्यक और वांछनीय महसूस किया गया है और तीन नयी धाराओं, अर्थात् 29-क, 29-ख और 55-क को भी इस अधिनियम में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।  
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अजय सिंह,  
प्रभारी मंत्री।

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने प्रगणित मामले के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए और रजिस्ट्रार को उप-विधियां बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

### राज्य सरकार (नियम)

- | <b>खण्ड</b> | <b>के संबंध में</b>  |
|-------------|--|
| 27(4)       | किसी समिति के सदस्य निर्वाचित होने के लिए मूल पात्रता, और वह रीति भी जिससे समिति कोई आकस्मिक रिक्ति भर सकेगी, विहित करना;  |
| 28(12)      | किसी व्यक्ति के लिए किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विहित करना;   |
| 29-ख        | राज्य की सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों के चयन और भर्ती की सिफारिश, और वह रीति भी जिससे भर्ती बोर्ड गठित किया जायेगा, विहित करना;  |
| 33(3)       | सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, और अन्य सोसाइटियों के मामले में भी निर्वाचन, जो सोसाइटी की साधारण सभा की बैठक में करवाये जायेंगे, की प्रक्रिया, विहित करना; |
| 34(2)       | वह समय और रीति, जिससे किसी सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकारी द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायेगा, विहित करना;  |
| 54(6)       | उप-धारा (5) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों, और उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक(कों), की फीस विहित करना;   |
| 54(13)      | वह रीति, जिससे सोसाइटी उसकी अनुपालना रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति भेजेगी, विहित करना;   |

- 55-क वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण करवा सकेगा, विहित करना;
- 64(ढ) समापन के अधीन किसी स्थावर संपत्ति का सरकार को अभ्यर्पण और अंतरण करने की रीति विहित करना, जहां रजिस्ट्रार की राय में ऐसा किया जाना व्यापक लोकहित में हो।

### रजिस्ट्रार (उप-विधियां)

- 21 शेयरों की संख्या, जो किसी सहकारी सोसाइटी में कोई व्यक्ति सदस्य धारण करेगा और, शेयरों की संख्या, जो किसी अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यक्ति सदस्य धारण करेगा, भी, विहित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अजय सिंह,  
प्रभारी मंत्री।



**राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002  
का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) से (ग) XX XX XX XX XX XX

(घ) "केन्द्रीय सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका कार्यक्षेत्र किसी राजस्व जिले से अन्यून राज्य के किसी भाग तक सीमित है और जिसका अपने मुख्य उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्यों का संप्रवर्तन करना और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के प्रवर्तन के लिए सुविधाओं का उपबंध करना है और जिसके कम से कम पांच सदस्य स्वयं सोसाइटियां हैं:

परन्तु लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्बन्धन लागू नहीं होंगे।

(घक) से (थक) XX XX XX XX XX XX

(द) "प्राथमिक सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो न तो शीर्ष सोसाइटी है न केन्द्रीय सोसाइटी;

(ध) से (यक) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

10. उपविधियों का संशोधन.- (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव, सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उसे पारित कर दिये जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेषित किया जायेगा जो विहित की जाये और यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक हैं तो, वह संशोधन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और प्रस्तुत किये जाने की तारीख से साठ दिन के

भीतर-भीतर उसका प्रमाणपत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार जारी, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चयांक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक्, रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

(2) से (4) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

**15. सदस्यता.-** (1) से (3) XX XX XX XX  
XX XX

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में ऐसी न्यूनतम रकम, ऐसी न्यूनतम कालावधि के लिए, जो रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जमा कराता है तो वह उस कालावधि, जिसके दौरान जमा राशि सोसाइटी में रहती है, पूर्ण मतदान अधिकारों सहित उस सोसाइटी का सदस्य समझा जायेगा।

XX XX XX XX XX XX

**20. मत प्रयोग की रीति.-** (1) XX XX XX XX  
XX XX

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यक्ष रहते हुए, उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या धारा 30 के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जायेगा;

(ख) जहां सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई निकाय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है वहां वह ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

**21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन.-** किसी सहकारी सोसाइटी का व्यष्टिक सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम पांचवें भाग तक ही शेयर धारण कर सकेगा:

परन्तु अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यष्टिक सदस्य, सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम बीसवें भाग तक ही शेयर धारण करेगा।

XX      XX      XX      XX      XX      XX

**27. समिति की नियुक्ति.-** (1) XX    XX    XX    XX  
XX    XX

(2) समिति में सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जैसीकि उपविधियों में विहित की जाये:

परन्तु समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि समिति के बारह सदस्य सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे:

परन्तु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी की समिति जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए, एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।

(3) सहकारी सोसाइटी की समिति बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और इसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले इतने व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करेगी, जितने उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें:

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक भी समिति के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को, प्रथम परन्तुक

में विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(4) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगी:

परन्तु समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है:

परन्तु यह और कि यदि समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशन या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्देशित या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी की समिति धारा 30 के अधीन हटा दी गयी है और इस प्रकार हटायी गयी समिति की मूल अवधि का शेष भाग इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, तब इस प्रकार हटायी गयी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए समिति का निर्वाचन किया जा सकेगा, किन्तु जहां समिति इसकी मूल अवधि के आधे की समाप्ति के पश्चात् हटायी गयी है, वहां सोसाइटी की समिति की पूर्ण अवधि के लिए निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी सोसाइटियों के भिन्न-भिन्न स्तरों के निर्वाचन साथ-साथ कराने के प्रयोजन के लिए विनिश्चित किये गये समय पर करवाये जायेंगे।

(5) धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य को सम्मिलित करते हुए समिति का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का हकदार होगा:

परन्तु धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या समिति के

पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का कोई अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां वह ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा।

XX XX XX XX XX XX

**28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.-** (1) से (5) XX XX XX

(6) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा:

परन्तु धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में वर्णित आधार पर, जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप-धारा के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।

(7) से (8) XX XX XX XX XX XX

(9) कोई भी व्यक्ति समिति का अध्यक्ष और संघ मंत्री -परिषद् अथवा राज्य मंत्री -परिषद् का सदस्य, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले ही संघ मंत्री -परिषद् अथवा राज्य मंत्री -परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संघ मंत्री -परिषद् अथवा राज्य मंत्री -परिषद् में अपने स्थान से या, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, संघ मंत्री -परिषद् अथवा राज्य मंत्री-परिषद् के सदस्य या

किसी जिला परिषद् के प्रमुख या किसी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि वह संघ मंत्रि -परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् में अपने स्थान से या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(10) XX XX XX XX XX XX

(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने का पात्र नहीं होगा।

(12) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यक्षीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX XX

**30-ख. समस्त वित्तीय और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता.-** इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी लघु अवधि सहकारी साख सोसाइटी को निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अपने समस्त वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी, अर्थात्:-

(क) कार्मिक नीति, कर्मचारिवृन्द, नियोजन, पदस्थापन और कर्मचारिवृन्द को प्रतिकर;

- (ख) अपनी पसंद की किसी परिसंघीय संरचना में किसी भी स्तर पर सम्मिलित होने और बाहर जाने को सम्मिलित करते हुए उससे संबद्धता या असंबद्धता से संबंधित मामले;
- (ग) अपनी कारबारी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षेत्र; और
- (घ) आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां।

**31. अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना.-** (1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का सोसाइटी की साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है या सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति का प्रत्येक पदावरोही सदस्य, यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या सम्पत्ति का प्रभार है, अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेगा:

परन्तु जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जायेगा।

(2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, समापक को अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है; या जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़ दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है तो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और

कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में उक्त सोसाइटी कार्य कर रही है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारंट द्वारा, किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में, जिसमें अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक को या रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

XX XX XX XX XX XX

**33. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और उसके कृत्य.-** (1) से

(2) XX XX XX

(3) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगा।

(4) से (6) XX XX XX XX  
XX XX

**34. निर्वाचनों का उपक्रम.-** (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी समिति और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विद्यमान समिति की अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लिखित सूचना प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।

(2) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और प्राधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।



(3) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराती है जिसकी निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात्, प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी कारण से रोकी या मुलतवी नहीं की जायेगी।

XX XX XX XX XX XX

**36. निर्वाचन व्यय.-** किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे।

XX XX XX XX XX XX

**40. संयुक्त कृषि सोसाइटी में भूमियों का निहित होना तथा करार का रजिस्ट्रीकरण.-** (1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी संयुक्त कृषि सोसाइटी का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसकी भूमियां संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित रीति से समूहीकृत कर ली गयी हैं, संयुक्त कृषि सोसाइटी के साथ, ऐसी कालावधि को, जिसके लिए भूमि संयुक्त कृषि सोसाइटी में निहित होगी, तथा उस आधार को, जिस पर उसकी आय का अंश अवधारित किया जायेगा तथा ऐसे अन्य मामलों को, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें, विनिर्दिष्ट करते हुए, एक करार निष्पादित करेगा।

(2) XX XX XX XX XX XX

(3) उप-धारा (1) के अधीन करार द्वारा समूहीकृत की गई भूमियां ऐसे करार की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् सदस्यों में पुनः उसी तरह समाहित हो जाएगी, जैसे कि करार से पूर्व थी।

XX XX XX XX XX XX

**54. लेखे और लेखापरीक्षा.-** (1) XX XX XX XX  
XX XX

(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी:

परन्तु किसी भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) XX XX XX XX XX XX

(4) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विहित रीति से, पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(5) सोसाइटियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित होगा, अर्थात्:-

(क) लेखापरीक्षक के मामले में,-

(i) वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हो और उसे अर्हता पश्चात् लेखाओं की संपरीक्षा करने का तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो और सहकारी सोसाइटियों की लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए नियुक्त और प्राधिकृत हो और उसके पास "नेशनल काउन्सिल फार कॉर्पोरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली" के द्वारा सहकारी लेखा में दिया गया डिप्लोमा हो; और

(ख) लेखापरीक्षा फर्म के मामले में, वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्टों की फर्म हो और उसे लेखाओं की

लेखापरीक्षा का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(6) लेखापरीक्षा का खर्चा संबंधित सोसाइटी द्वारा निर्धारित और संदत्त किया जायेगा:

परन्तु उप-धारा (5) के खंड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(7) से (9) XX XX XX XX XX XX

(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को प्रस्तुत करेगी।

(11) XX XX XX XX XX XX

(12) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक को नियत समय के भीतर-भीतर रिपोर्ट भी देगा।

(13) सोसाइटी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात्, उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटी को भेजेगी।

(14) से (15) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

**56. वित्तीय बैंकों द्वारा पुस्तकों का निरीक्षण.-** किसी वित्तीय बैंक को किसी सहकारी सोसाइटी की, जो उसकी ऋणी है, पुस्तकों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण या तो वित्तीय बैंक के किसी अधिकारी द्वारा या उसके वेतन पाने वाले स्टॉफ के ऐसे किसी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा, जो ऐसे बैंक की समिति की सिफारिश पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए सक्षम प्रमाणित हो। इस प्रकार निरीक्षण करने वाले अधिकारी या सदस्य की सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी

और अन्य सम्पत्तियों तक समस्त उचित समयों पर अबाध पहुंच होगी और वह ऐसी सूचना, विवरण और विवरणियों की अपेक्षा भी कर सकेगा जो सोसाइटी की वित्तीय स्थिति की और वित्तीय बैंक द्वारा उसे उधार दी गई राशियों की संरक्षा के अभिनिश्चयन के लिए आवश्यक हों।

XX XX XX XX XX XX

**61. सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन.-** (1) जहां धारा 54 के अधीन संचालित किसी लेखापरीक्षा या धारा 55 के अधीन की गयी किसी जांच के आधार पर या तत्प्रयोजनार्थ बुलायी गयी किसी विशेष साधारण बैठक में पारित किसी विशेष संकल्प सहित किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आये कि-

- (क) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या या समादत्त शेयर पूंजी की रकम सोसाइटी के ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से कम हो गयी है; या
- (ख) सोसाइटी ने उसके रजिस्ट्रीकरण के दो वर्ष के पश्चात् भी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है या ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर लिया है जिनके लिए उसका गठन किया गया था या उसके प्रमुख उद्देश्यों के अनुसार कार्य करना बन्द कर दिया है,

तो वह, सोसाइटी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देते हुए कोई आदेश जारी कर सकेगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

**64. समापक की शक्तियां.-** (1) XX XX XX XX  
XX XX

(2) ऐसे समापक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:-

- (क) से (ज) XX XX XX XX XX XX

(ट) ऐसी अवधि या अवधियां नियत करना, जिनके भीतर-भीतर लेनदार अपने ऐसे ऋणों तथा दावों को सिद्ध करेंगे जो उक्त ऋण या दावे सिद्ध होने के पूर्व किये जाने वाले किसी वितरण के फायदे में शामिल किये जाने हों:

परन्तु कोई भी समापक किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिनी, वारिस या प्रतिनिधि से वसूलीय अभिदाय, ऋण या उनके द्वारा देय राशि तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या मृत सदस्य के नामनिर्देशिनी, वारिस या प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) XX XX XX XX XX XX XX  
XX XX XX XX XX XX XX

#### 105. अधिकरण का गठन और उसको अपीलें.-

(1) से (9) XX XX XX XX XX XX

(10) कोई व्यक्ति जो-

(क) से (घ) XX XX XX XX XX XX

(ङ) ऐसे किसी भी विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जो धारा 60 के अधीन किया जाये, निष्पादन में किसी विलम्ब या बाधा का निवारण करने की दृष्टि से धारा 102 के अधीन किये गये किसी आदेश से; या

(च) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 104 के अधीन की गयी किसी अपील में पारित किसी विनिश्चय से, व्यथित है, ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 97 और प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियां होंगी।

(11) XX XX XX XX XX XX  
XX

XX XX XX XX XX XX XX

**107. सरकार और रजिस्ट्रार की पुनरीक्षण की शक्ति.- (1)**

रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गयी है और राज्य सरकार, ऐसे मामले में, जिसमें कार्रवाई रजिस्ट्रार द्वारा की गयी है, किसी भी जांच या ऐसे सभी मामलों की कार्यवाहियों के, जिनमें इस अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की गयी है, उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील अधिकरण को होती है, किसी विनिश्चय या पारित आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारी की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के किसी आवेदन पर, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी। यदि, किसी मामले में, राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत हो कि इस प्रकार मंगाये गये किसी विनिश्चय, या आदेश या कार्यवाहियों को उपांतरित, बातिल या उल्टा जाना चाहिए तो राज्य सरकार, या यथास्थिति, रजिस्ट्रार प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन ऐसे तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको आवेदन से संबंधित कार्यवाहियों, विनिश्चय या आदेश से आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामले में नहीं करेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपील उसको होती है।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त और रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रार का अधीनस्थ समझा जायेगा।

(2) XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX

109. अपराध और दण्ड.- (1) XX XX XX  
XX XX XX

(2) प्रत्येक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, दोषसिद्धि पर, निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा,-

- (क) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ख) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ग) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (घ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (ङ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;
- (च) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (छ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक

की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

- (ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (झ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ञ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ञ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ट) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ठ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (ड) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ढ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह



- मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (ण) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (त) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- (थ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;
- (द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से;
- (ध) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से।

XX      XX      XX                      XX      XX                      XX

123. नियम बनाने की शक्ति.- (1) XX                      XX                      XX  
XX      XX      XX

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) से (viii) XX      XX                      XX      XX      XX                      XX  
(ix) सदस्यों का प्रत्याहरण, हटाया जाना या निष्कासन, उन्हें किये जाने वाले संदाय, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपदाओं के दायित्व;

(x) ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया जिसे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका शेयर या हित अंतरित किया जा सकेगा या उसका मूल्य संदत्त किया जा सकेगा;

(xi) से (lxxxvii) XX XX XX XX XX XX

(3) XX XX XX XX XX XX  
XX XX XX XX XX XX

**125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.-** (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके समस्त सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, ऐसे संकल्प की क्रियान्विति को अन्तरित रूप से स्थगित करते हुए, उसे विखंडित किया जाना प्रस्तावित कर सकेगा:

परन्तु सरकार या रजिस्ट्रार कोई भी ऐसा कार्य या कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसा आदेश या निदेश जारी नहीं करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी को दी गयी किसी स्वतंत्रता या शक्तियों को कम करता हो या इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी संकल्प के निष्पादन पर उसने अंतरिम रूप से रोक लगा दी हो, पैंतालीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विखण्डन का प्रस्ताव अधिकरण को विचारार्थ भेजेगा।

(3) अधिकरण सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा और उस पर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**Bill No. 8 of 2016**

**THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES  
(AMENDMENT) BILL, 2016**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely :-

“(d) “central society” means a society whose area of operation is confined to a part of the State and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and at least five members of which are societies themselves;” and

(ii) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely :-

“(r) “primary society” means a society which is neither an apex society nor a central society and which is constituted primarily by individuals as members;”.

**3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 10 of the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of sub-section (1), the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) after existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that no society shall pass any such amendment in its bye-laws, which is not in consonance with the bye-laws of the class or sub-class of societies under which the society was originally registered.”.

**4. Amendment of section 15, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 15 of the principal Act, the existing sub-section (4) shall be deleted.

**5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the principal Act, for the expression “under section 30”, the expression “under this Act” shall be substituted.

**6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-**For the existing provision of section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“21. Restriction on holding of shares.-** An individual member in a co-operative society shall hold such number of shares as may be prescribed in the bye-laws of the society, or to a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society, whichever is less:

Provided that an individual member of an Urban Co-operative Bank shall hold such number of shares as may be prescribed in the bye-laws of the society, or to a maximum of the one twentieth of the total share capital of the society, whichever is less.”.

**7. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 27 of the principal Act,-

- (i) in the first proviso to sub-section (2), for the existing expression “twenty one”, the expression “sixteen” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), after the existing second proviso and before the existing last proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that no person shall be allowed to contest elections for more than one seat in the committee of a society:”;

- (iii) in first proviso to sub-section (3), for the existing expression “twenty one”, the expression “sixteen” shall be substituted;
- (iv) in sub-section (4), after the existing expression “the term of the committee:” and before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-  
 “Provided that no person shall continue as a member of the committee, if he loses the basic eligibility as may be prescribed in rules for getting elected to such committee.”;
- (v) after the new proviso so inserted to sub-section (4), for the existing first and second provisos, the following shall be substituted, namely:-  
 “Provided further that the committee may fill a casual vacancy on the committee by co-option in the manner prescribed, out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:  
 Provided also that if a casual vacancy among the elected members of the committee has arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, and the member so elected, shall hold the office for the remainder of the term.”;
- (vi) in sub-section (5), after the existing expression “cast one vote:” and before the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-  
 “Provided that where a member nominated under section 29 on the committee of a society is also holding charge of another member who is also a nominated member of the committee under section 29, shall be entitled to vote in his capacity as such other member also.”;
- (vii) in the existing first proviso to sub-section (5), for the existing expression “Provided that”, the expression “Provided further that” shall be substituted; and

(viii) for the existing second proviso to sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

“Provided also that where the Chief Executive Officer or a member nominated by the Government has any dissent with the resolution passed by the committee, such Chief Executive Officer or the member shall inform the Registrar about such dissent preferably on the same day but in any case within fifteen days from the date of such resolution.”.

**8. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 28 of the principal Act,-

(i) for the existing proviso to sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-

“Provided that a member of the committee replaced by an Administrator under section 30-C due to expiry of the term of the committee or under clause (b) of sub-section (1) of section 30 on the ground of a stalemate in functions of the committee due to lack of quorum shall not be deemed disqualified under this sub-section.”;

(ii) after the existing sub-section (7) and before the existing sub-section (8) of the principal Act, the following new sub-section (7-A) shall be inserted, namely:-

“(7-A) No person shall be eligible for election as a member of a committee, if he has been elected or co-opted to be a member of the committee of the same society in continuation for two times, unless a period of five years from the date of expiry of his second term as the member of such committee has elapsed:

Provided that a member of a committee once elected or co-opted to the committee shall be deemed to have completed his full term for the purpose of this sub-section, even if he was not elected or co-opted for a full term of five years or has not completed his term of office for any reason whatsoever it may be.”;

(iii) for the existing sub-section (9), the following shall be substituted, namely :-

“(9) No person shall remain both a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee and a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body and, if already a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson or Vice-Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson or Vice-Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns from his membership of the Parliament or the State Legislature or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body as the case may be:

Provided that a person who is already a Chairperson or Vice-Chairperson of a committee is elected as a member of the Parliament or a member of the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Parliament or the State Legislature or, the Pramukh or Up-Pramukh of a Zila Parishad or, the Pradhan or Up-Pradhan of a Panchayat Samiti or, Sarpanch or Up-Sarpanch of a Gram Panchayat or, a Chairperson or Vice-Chairperson of a municipal body, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson or Vice-Chairperson of the committee

unless he has previously resigned from his membership of the Parliament or the State Legislative Assembly or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti or the Gram Panchayat or the municipal body, as the case may be.”;

(iv) for the existing sub-sections (11) and (12), the following shall be substituted, namely :-

“(11) No member of a committee, which has failed to-

- (i) provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V; or
- (ii) make available or arrange to make available necessary record to the enquiry officer appointed by the Registrar under section 55 for conduct of an enquiry of the affairs of the society; or
- (iii) appoint auditor(s) and get its audit conducted within the time stipulated therefor in this Act or the rules,

shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee, or for continuing as such member for a period of six years from the date of such failure.

(12) No person shall be eligible for being elected as a member of the committee of a society unless he possesses such minimum educational qualification as may be prescribed in the rules, if any.

(13) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules or the bye-laws registered under this Act shall be decided by the Registrar:

Provided that the question of such disqualification of a candidate contesting elections to the committee of a society shall be decided by the Election Officer during scrutiny of his nomination papers.”.



**9. Insertion of a new sections 29-A and 29-B, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** After the existing section 29 and before the existing section 30 of the principal Act, the following new sections 29-A and 29-B shall be inserted, namely:-

**“29-A. Officers and employees of co-operative societies.-** (1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the Registrar may issue general directions regarding the service conditions of the employees of a society or a class of societies in the interest of smooth functioning of societies and the general welfare of their employees.

(2) The Registrar may also form a common cadre for the employees of a class of societies in whole or in part of the State and frame such guidelines regarding recruitment, remuneration, transfer, deputation, disciplinary action and other matters relating to the service conditions of the employees covered under such cadre.

**29-B. Constitution of Recruitment Board for the co-operative societies.-** (1) There shall be a Co-operative Recruitment Board, hereinafter called the Board in this section, for selection and recommendation for recruitment of the employees of co-operative societies of the State, as may be prescribed in the rules.

(2) The Board shall consist of a Chairperson and two other members and shall be constituted by the Government, in the manner prescribed.

(3) The Board shall, looking at the requisition and requirement of the co-operative societies concerned, shall have the power to decide the selection criteria, procedure, criteria for shortlisting of candidates, which may include a decision as to whether and how to conduct a written examination and/or interviews.

(4) Where the Board decides to conduct a written examination, it may conduct the same on its own or through an independent agency having suitable expertise and repute.”.

**10. Amendment of section 30-B, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** For the existing section 30-B of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“30-B. Autonomy in all financial and internal administrative matters.-** A short term co-operative

credit structure society shall, subject to the general conditions and norms laid down by the Registrar in this regard, have autonomy in its financial and internal administrative matters including the following areas, namely:-

- (a) personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff;
- (b) issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure of its choice including entry and exit at any level;
- (c) area of operation according to its business requirements; and
- (d) internal control systems.”.

**11. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 31 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “at a general meeting of the society”, the expression “under the provisions of this Act” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (1), after the existing expression “records and property of the society:”, appearing at the end of the sub-section and before the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in societies where there is no Chief Executive Officer, the Secretary of the society and if there is no Secretary also, then the Chairperson of the society shall be deemed to be the trustee of all the records and property of the society:”;

- (iii) in the existing proviso to sub-section (1), for the existing expression “Provided”, the expression “Provided further that” shall be substituted;
- (iv) in sub-section (2), for the existing expression “or the Liquidator”, the expression “or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society” shall be substituted; and for the existing expression “of the society or the Administrator or the Liquidator”, the expression “or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the

society, as the case may be,” shall be substituted; and

- (v) in sub-section (3), for the existing expression “Administrator of the society or the Liquidator”, the expression “Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society” shall be substituted.

**12. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 33 of the principal Act, for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3)The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, elections to such co-operative societies, as may be prescribed in the rules, shall vest in the Authority:

Provided that in other societies, elections shall be held in the general body meeting of the society as per the procedure laid down therefor in the rules.”.

**13. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 34 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely :-

“(1) The Authority shall seek such information from the Co-operative societies as it may find necessary to conduct elections in a fair and transparent manner.

(2) The Chief Executive Officer of a co-operative society shall provide all the information sought by the Authority in time and in the manner prescribed.

(3) The Chief Executive Officer shall also send written information to the Authority regarding a casual vacancy in the committee for which the Authority is to conduct elections, immediately after occurrence of such vacancy.”;

- (ii) after sub-section (1) so substituted, the existing sub-sections (2), (3) and (4) shall be renumbered as (4), (5) and (6) respectively.

**14. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** For the existing section 36 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“36. Election Expenditure.-** All expenses for holding elections of the committee of a co-operative society shall be borne by the concerned society or the society to which such society is affiliated.”.

**15. Amendment of section 40, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 40 of the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end of sub-section (3), the punctuation mark “:” shall be substituted; and
- (ii) after sub-section (3), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

“Provided that where the land is allotted or leased or rented by the Government, or a municipal or some other local body or any other organisation of the Government, such land shall be surrendered back to the concerned, where the society has ceased using the land for the purpose for which it was originally allotted or leased or rented.”.

**16. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In section 54 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely :-

“(2) Every society shall cause its accounts to be audited by an auditor or auditing firm appointed by the committee of the society from amongst the panel approved under sub-section (4):

Provided that where the committee of the society fails to appoint an auditor or auditing firm within the time stipulated therefor, the Registrar may appoint an auditor or auditing firm for the audit of the society from the panel approved under sub-section (4):

Provided further that no auditor or auditing firm shall be appointed for the audit of the accounts of the society for more than two years in continuation:

Provided also that the Registrar may, by an order, appoint an auditor(s) or auditing firm(s) to cause accounts of a society or a class of societies to be audited for a particular period, which shall be

- binding on the society or the class of societies, as the case may be.”;
- (ii) in sub-section (4), for the existing expression "sub-section (1)", the expression "sub-section (2)" shall be substituted;
- (iii) for the existing sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5), the following shall be substituted, namely :-  
 “(ii) he must be a person in the service of the Co-operative Department of the Government of Rajasthan, not below the rank of an Inspector; and”;
- (iv) for the existing proviso to sub-section (6), the following shall be substituted, namely:-  
 "Provided that the fee of the auditors referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5) and the auditor(s) appointed by the Registrar under the sub-section (2) shall be prescribed by the State Government.”;
- (v) for the existing sub-section (10), the following shall be substituted, namely :-  
 “(10) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall prepare audit report in the Proforma prescribed by the Registrar and submit the audit report to the society and also to the Registrar.”;
- (vi) for the existing sub-section (12), the following shall be substituted, namely :-  
 “(12) If it comes to the knowledge of the Registrar that, prima facie, any financial irregularity has occurred in a society, the Registrar may get a special audit of the society conducted for the period during which such irregularity is believed to have taken place:  
 Provided that the Registrar shall ensure conduct of special audit of the Rajasthan State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, if requested by the Reserve Bank of India, in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India within the time stipulated.”; and
- (vii) in sub-section (13), after the existing expression “along with compliance thereof” and before the

existing expression “after consideration and approval”, the expression “in the prescribed manner” shall be inserted.

**17. Insertion of a new section 55-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** After the existing section 55 and before the existing section 56 of the principal Act, the following new section 55-A shall be inserted, namely:-

**“55-A. Inspection by Registrar.-** (1) The Registrar may subject to such conditions, as may be prescribed, of his own motion, by himself or by a person authorized by him by an order in writing, hold inspection of the books of a co-operative society.

(2) The Registrar, or the person authorized by him under sub-section (1) shall, for the purposes of the inspection under this section, have the following powers, namely:-

(a) he shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the society and may summon any person in possession or responsible for the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties, to produce the same at a place and time, as directed by the Registrar or the person authorised by the Registrar; and

(b) he may summon any person who, he has reason to believe, has knowledge of any of the affairs of the society, to appear before him at any place, and may examine such person on oath.

(3) All officers, members and employees of the society whose books are inspected under this section shall furnish such information in their possession in regard to the affairs of the society as the Registrar or the person authorized by the Registrar may require.

(4) The Registrar may, by an order in writing, direct the society or any officer of the society or its

financing bank or any other organisation to take such action as may be specified in the order to remedy, within such time as may be specified therein, the defects, if any, disclosed as a result of the inspection.”.

**18. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 16 of**

**2002.-** In section 56 of the principal Act, for the existing expression “committee” appearing after the existing expression “on the recommendation of the” and before the existing expression “of such bank as”, the expression “Chief Executive Officer” shall be substituted.

**19. Amendment of section 61, Rajasthan Act No. 16 of**

**2002.-** In section 61 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1), after the existing expression “called for the purpose,” and before the existing expression “it comes to the knowledge”, the expression “or otherwise” shall be inserted; and
- (ii) in clause (b) of sub-section (1), after the existing expression “with its core objectives” and before the punctuation mark “;”, the expression “or has repeatedly been violating the provisions of the Act or the rules or its bye-laws” shall be inserted.

**20. Amendment of section 64, Rajasthan Act No. 16 of**

**2002.-** In sub-section (2) of section 64 of the principal Act,-

- (i) for the existing punctuation mark “:”, appearing at the end of clause (k), the punctuation mark “;” shall be substituted; and
- (ii) after clause (k), so amended, and before the existing proviso, the following shall be added, namely:-
  - “(l) to write off, subject to the approval of the Registrar, such claims of the society, whereafter all possible efforts, the claims are found irredeemable;
  - (m) to declare a claim against the society as 'not payable' in whole or in part, where the society does not have enough redeemable resources to pay such claims;
  - (n) to surrender and transfer an immovable property to the Government, where, in the opinion of the Registrar, it is in wider

public interest to do so in the manner as may be prescribed;

- (o) to entrust, with the special permission of the Government to that effect, an immovable property such as a community centre, which is being used by the local residents of the area for their general welfare and community activities, to a society of such residents exclusively formed to maintain such common facility without having any other objectives in its bye-laws, in the common interest of such residents:

Provided that in case, it is found that the property entrusted to the society of the residents for community activities, is being used for an activity other than the community activities for which it was entrusted to the society, the property shall revert back to the Government.”; and

- (iii) in the existing proviso, for the existing expression “Provided that”, the expression “Provided further that” shall be substituted.

**21. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** In sub-section (10) of section 105 of the principal Act,-

- (i) in clause (e) for the existing expression “section 102”, the expression “section 101” shall be substituted; and

- (ii) after the existing clause (f), the following new clause (g) shall be added, namely:-

“(g) any decision passed by the Registrar under section 125.”.

**22. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** For the existing second proviso to sub-section (1) of section 107 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“Provided further that the Registrar or the Government shall not exercise the powers under this sub-section in case in which an appeal lies to him or it, as the case may be, under this Act.”.



**23. Amendment of section 109, Rajasthan Act No. 16 of****2002.-** In sub-section (2) of section 109 of the principal Act,-

- (i) in clause (a), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the existing expression “ten thousand rupees”, the expression “fifty thousand rupees” shall be substituted;
- (iii) in clause (c), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (iv) in clause (d), for the existing expression “five hundred rupees”, the expression “two thousand five hundred rupees” shall be substituted;
- (v) in clause (e), for the existing expression “five hundred rupees”, the expression “two thousand five hundred rupees” shall be substituted;
- (vi) in clause (f), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (vii) in clause (g), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (viii) in clause (h), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (ix) in clause (i), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (x) in clause (j), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (xi) in clause (k), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (xii) in clause (l), for the existing expression “one thousand rupees”, the expression “five thousand rupees” shall be substituted;

- (xiii) in clause (m), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (xiv) in clause (n), for the existing expression “one thousand rupees”, the expression “five thousand rupees” shall be substituted;
- (xv) in clause (o), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted;
- (xvi) in clause (p), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (xvii) in clause (q), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted;
- (xviii) in clause (r), for the existing expression “five thousand rupees”, the expression “twenty five thousand rupees” shall be substituted; and
- (xix) in clause (s), for the existing expression “two thousand rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted.

**24. Amendment of section 123, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** After the existing clause (ix) and before the existing clause (x) of sub-section (2) of section 123 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

“(ix-a) formation of common cadre for a class of society, including rules for its applicability and governance;”.

**25. Amendment of section 125, Rajasthan Act No. 16 of 2002.-** For the existing section 125 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**“125. Powers of Registrar to rescind certain resolutions.-** If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee thereof is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is against the provisions of the Act, the rules or the bye-laws of the society or is otherwise in excess of the powers of the society, the Registrar, may, after giving the society an opportunity of being heard, rescind the resolution.”.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) was enacted in the Year 2002 repealing the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Act No. 13 of 1965). The Act of 2001 came into force from 14 November, 2002, since then the new law has been applicable on the co-operative societies of the State. The Act has also been amended from time to time since then.

Now again, looking at the expansion of business and the rising number of societies in the State, as also with an eye to impart some new dimensions and to infuse new vigour in the co-operative sector and at the same time, to alleviate some of the practical difficulties being encountered in governance of the co-operative societies, it has been felt exigent to impart some amendments further in the Act of 2001.

In this endeavour as aforesaid, it was felt necessary and desirable to amend sections 2, 10, 15, 20, 21, 27, 28, 30-B, 31, 33, 34, 36, 40, 54, 56, 61, 64, 105, 107, 109, 123 and 125 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) and three new sections, namely 29-A, 29-B and 55-A are also proposed to be added in the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.  
Hence the Bill.

अजय सिंह,  
**Minister Incharge.**

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

The following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and the Registrar to make bye-laws with respect to the matter enumerated against each of such clauses:-

**State Government (Rules)**

<b>Clauses</b>	<b>With respect to</b>
27(4)	prescribing, the basic eligibility of a member of the committee for getting elected to it and, also the manner in which the committee may fill a casual vacancy;
28(12)	prescribing the minimum educational qualification for a person to be eligible for being elected as a member of the committee of a society;
29-B	prescribing, selection and recommendation for recruitment of the employees of the co-operative societies of the State and, also the manner in which the Recruitment Board shall be constituted ;
33(3)	prescribing, the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, elections to the co-operative societies and, also in case of other societies, the procedure of elections which shall be held in the general body meeting of the society;
34(2)	prescribing the time and manner in which Chief Executive Officer of a co-operative society shall provide information sought by the Authority;
54(6)	prescribing the fee of, the auditors referred to in sub-section (5) and, the auditor (s) appointed by the Registrar under sub-section (2);
54(13)	prescribing the manner in which the society shall send a copy of the audit report along with compliance thereof;
55-A	prescribing the conditions subject to which the Registrar may hold inspection of the books of a co-operative society;
64(n)	prescribing for the surrender and transfer of an immovable property of a society under liquidation to

the Government, where, in the opinion of the Registrar, it is in wider public interest to do so.

**Registrar (Bye-laws)**

- 21 prescribing, the number of shares an individual member shall hold in a co-operative society and, also number of shares an individual member of an Urban Co-operative Bank shall hold.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अजय सिंह,  
**Minister Incharge.**

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-  
OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001  
(Act No. 16 of 2002)**

**XX XX XX XX XX XX XX**

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) to (c) xx xx xx xx xx xx xx

(d) "Central society" means a society whose area of operation is confined to a part of the State not being less than a revenue district and which has in its main objects the promotion of the core objects of, and the provision of facilities for the operations of, other societies affiliated to it; and at least five members of which are societies themselves:

Provided that in respect of a short term co-operative credit structure society, restrictions regarding the area of operation shall not be applicable.

(da) to (qa) xx xx xx xx xx xx

(r) "primary society" means a society which is neither an apex society nor a central society;

(s) to (za) xx xx xx xx xx

**XX XX XX XX XX XX XX**

**10. Amendment of bye-laws.-** (1) Every proposal for an amendment of the bye-laws of a society, after it has been passed by the society in its general body meeting by a special resolution, shall be forwarded to the Registrar in the manner as may be prescribed and if the Registrar is satisfied that the proposed amendment fulfils the requirements, as are essential for the registration of bye-laws under section 6, he shall register the amendment and issue a certificate thereof within sixty days from the date of submission. The certificate so issued, signed and sealed by the Registrar shall be the conclusive evidence of the fact that the amendment has been duly registered.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx xx

**XX XX XX XX XX XX XX**

**15. Membership.-** (1) to (3) xx xx xx xx xx

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-section (3), an individual, who deposits in a primary agricultural credit society such minimum amount for such

minimum period as may be specified by the Registrar from time to time, shall be deemed to be the member of that society with full voting rights during the period for which the deposit remains with the society.

**XX XX XX XX XX XX XX**

**20. Manner of exercising votes.-** (1) xx xx xx

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where-

- (a) a co-operative society is a member of another co-operative society, its Chairperson or, in his absence vice-Chairperson or an Administrator appointed under section 30 shall, subject to any rules made under this Act, represent to cast vote on its behalf in the affairs of that another society;
- (b) the Government or a local authority or a body is a member of a co-operative society, it may nominate a representative to cast vote on its behalf, in the affairs of such society.

**21. Restriction on holding of shares.-** An individual member in a co-operative society shall hold shares only upto a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society:

Provided that an individual member of Urban Co-operative Bank shall hold shares only upto a maximum of the one twentieth to the total share capital of the society.

**XX XX XX XX XX XX XX**

**27. Appointment of Committee.-** (1) xx xx xx

(2) The committee shall have such number of members as prescribed in the bye-laws:

Provided that the maximum numbers of the members of the committee shall not exceed twenty one:

Provided further that twelve members of the committee shall be elected by the general body of the society:

Provided also that one seat for the Scheduled Castes, one seat for the Scheduled Tribes and two seats for women shall be reserved in the committee of a co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

(3) The committee of a co-operative society shall co-opt such number of persons having experience in field of banking,

management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society as members of the committee as may be specified in the bye-laws:

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to twenty one members of the committee specified in the first proviso of sub-section (2):

Provided further that the functional directors of a co-operative society shall also be the members of the committee and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of members of the committee specified in the first proviso.

(4) The term of office of the elected members of the committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the committee:

Provided that the committee may fill a casual vacancy on the committee by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:

Provided further that if a causal vacancy on the committee has arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, nomination or co-option, as the case may be, and the member so elected, nominated or co-opted, as the case may be, shall hold the office for the remainder of the term:

Provided also that where the committee of a society is removed under section 30 and the remainder of the original term of the committee so removed is more than half of its original term, then the elections to the committee may be held for the remainder of the term of the committee so removed, but where the committee is removed after completion of half of its original term, elections to the committee of the society for a full term shall be held at a time decided by the State Co-operative Election Authority for the purpose of synchronizing elections of different tiers of the co-operative societies.

(5) Each member of the committee, including the members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall be entitled to cast one vote:

Provided that members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall not have any right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such



members or to be eligible to be elected as office bearers of the committee:

Provided further that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week.

**28. Disqualification of membership etc. of committees.-** (1) to (5) xx xx xx xx xx xx

(6) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of any committee for a period of five years from the date of such removal:

Provided that a member of the committee replaced by an Administrator on the ground mentioned in clause (c) of sub-section (1) of section 30, shall not be deemed disqualified under this sub-section.

(7) to (8) xx xx xx xx xx xx xx

(9) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office

he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:

Provided further that he may become member of the committee or a Director.

(10) xx xx xx xx xx xx xx

(11) No member of a committee, which has failed to provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee for a period of five years from the date of such failure.

(12) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the process of election and by the Registrar at all other times.

XX XX XX XX XX XX XX

**30-B. Autonomy in all financial and internal administrative matters.-** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, a short term co-operative credit structure society shall have autonomy in all its financial and internal administrative matters including the following areas, namely:-

- (a) personnel policy, staffing, recruitment, posting and compensation to staff;
- (b) issues relating to affiliation and disaffiliation with any federal structure of its choice including entry and exit at any level;
- (c) area of operation according to its business requirements; and
- (d) internal control systems.

**31. Securing possession of records etc.-** (1) Where the committee of a co-operative society is reconstituted at a general meeting of the society or the committee of a co-operative society is removed by the State Government or the Registrar under section 30 or, the Chief Executive Officer of the society is changed under the rules, every outgoing member of the committee, if he is in charge of any of the records or property of the society, or the outgoing Chief Executive Officer of the society shall hand over charge of all the records and property of the society to the Chief Executive Officer, who shall be the overall trustee of all the records and property of the Society:

Provided where the society is ordered to be wound up under section 61, the charge of the record and property of the society shall be handed over to the Liquidator, appointed under section 63.

(2) If any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property to the Chief Executive Officer or the Liquidator, as the case may be or, where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Chief Executive Officer of the society or the Administrator or the Liquidator, or the Registrar or a person authorised by the Registrar may apply to the Judicial Magistrate of the First Class, within whose jurisdiction the society is functioning, for searching, seizing and taking possession of the records and property of the society.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Magistrate may, by a warrant, authorise any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, to enter the likely places, where the records and the property are kept or are believed to be kept, and to search and to seize such records and property; and the records and property so seized shall be handed over to the Chief Executive Officer or the Administrator of the society or the Liquidator or the Registrar, or the person authorised by the Registrar, as the case may be.

XX XX XX XX XX XX XX

**33. State Co-operative Election Authority and its function.**- (1) to (2) xx xx xx xx xx xx

(3) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society shall vest in the Authority.

(4) to (6) xx xx xx xx xx xx

**34. Prelude to the elections.**- (1) The Chief Executive Officer of every co-operative society shall send a written information in such manner, as may be prescribed, to the Authority to conduct election of its committee and its office bears, six months before the expiry of the term of the existing committee. The Chief Executive Officer shall also send written information regarding a casual vacancy in the committee immediately after occurrence of such vacancy.

(2) It shall be the duty of the committee of a society to ensure that all the information, books and records, which the Authority may require for the purpose of election, are updated and made available in time to the Authority or a person authorized by it for the purpose.

(3) The committee of the society shall also ensure that the society provides all the assistance to the Authority, as may be required by it for conduct of the election.

(4) The process of election of co-operative society, once started shall not be stoooped or postponed for any reason, save for a natural calamity or break down of law and order.

XX XX XX XX XX XX XX

**36. Election expenditure.-** All expenses for holding elections of the committee of a co-operative society shall be borne by the concerned society.

XX XX XX XX XX XX XX

**40. Vesting of lands in joint farming society and registration of agreement.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, every member of a joint farming society as classified under the rules, whose lands have been pooled in the manner set out in the bye-laws of the society concerned, shall execute an agreement with the joint farming society specifying the period for which the land shall vest in the joint farming society, and the basis on which the share of his income shall be determined and such other matters as may be specified in the bye-laws.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

(3) The lands pooled by an agreement under sub-section (1), shall, after the expiry of the period of the agreements revest in the members, as were before the agreement.

XX XX XX XX XX XX XX

**54. Accounts and Audit.-** (1) xx xx xx xx xx

(2) Every society shall cause its accounts to be audited by an auditor or auditing firm appointed by the general body of the society from amongst the panel approved under sub-section (4):

Provided that no auditor or auditing firm shall be appointed for the audit of the accounts of the society for more than two years in continuation.

(3) xx xx xx xx xx xx xx

(4) For the purposes of sub-section (1), the Registrar shall prepare, approve and notify a panel, in the prescribed manner, of eligible auditors and auditing firms.

(5) Following shall be the minimum qualification and experience for auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of the societies, namely:-

(a) in case of an auditor,-

(i) he must be a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years post-qualification experience of auditing accounts; or

(ii) he must be a person in the service of the Co-operative Department of the Government of Rajasthan, appointed, or authorised, to conduct audit of the co-operative societies and must have diploma in co-operative audit awarded by the National Council for Co-operative Training, New Delhi; and

(b) in case of an auditing firm, it must be a firm of Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years experience of auditing accounts.

(6) Cost of the audit shall be decided and paid by the co-operative society concerned:

Provided that the fee of the auditors referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5) shall be prescribed by the State Government.

(7) to (9)   xx    xx    xx    xx    xx    xx xx

(10) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall prepare audit report in the Proforma prescribed by the Registrar and submit the audit report to the society.

(11)   xx    xx    xx    xx    xx    xx    xx

(12) The Registrar shall ensure conduct of special audit of the Rajasthan State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, if requested by the Reserve Bank of India, in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and shall furnish the report to the Reserved Bank of India within the time stipulated.

(13) The society shall send a copy of the audit report along with compliance thereof after consideration and approval of the

same by the General Body of the society to the Registrar and to its affiliating society, if any.

(14) to (15) xx xx xx xx xx xx  
 XX XX XX XX XX XX XX

**56. Inspection of books by financing bank.-** A financing bank shall have the right to inspect the books of any co-operative society which is indebted to it. The inspection may be made either by an officer of the financing bank or by a member of its paid staff certified by the Registrar on the recommendation of the committee of such bank as competent to undertake such inspection. The officer or member so inspecting shall, at all reasonable times, have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of, the society and may also call for such information, statement and returns as may be necessary to ascertain the financial condition of the society and the safety of the sums lent to it by the financing bank.

XX XX XX XX XX XX XX

**61. Winding up of co-operative societies.-** (1) Where, on the basis of an audit conducted under section 54 or an enquiry held under section 55 or on receipt of an application made with a special resolution passed at a special general meeting called for the purpose, it comes to the knowledge of the Registrar that-

- (a) The number of members or the amount of the paid up share capital in the society has reduced below the minimum level which is essential for registration of such class of society; or
- (b) the society has not commenced to work even after two years of its registration, or has fulfilled the core objects for which it was constituted or has ceased to work in accordance with its core objectives,

he may, after giving the society an opportunity of making its representation, issue an order directing the winding up of such society.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx xx  
 XX XX XX XX XX XX XX

**64. Powers of Liquidator.-** (1) xx xx xx xx xx

(2) Such Liquidator shall also have power, subject to the control of the Registrar,-

- (a) to (j) xx xx xx xx xx

- (k) to fix the time or times within which creditors shall prove their debts and claims to be included for the benefit of any distribution made before those debts or claims are proved:

Provided that no Liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from a member, past member, or a nominee, heir or representative of a deceased member unless opportunity has been given to such member, past member or nominee, heir or representative of the deceased member of being heard.

(3) xx xx xx xx xx xx xx  
**XX XX XX XX XX XX XX**

**105. Constitution of and appeals to the Tribunal.-** (1) to (9) xx xx xx xx xx xx

- (10) Any person aggrieved by –
  - (a) to (d) xx xx xx xx xx
  - (e) any order made under section 102 with a view to prevent any delay or obstruction in the execution of any decision or award that may be made under section 60,
  - (f) any decision passed by the State Government or the Registrar, as the case may be, in an appeal made under section 104,

may within ninety days from the date of the decision, award or order, as the case may be, appeal to the Tribunal.

**Explanation.-** The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise all the powers conferred upon an appellate court by section 97 and order XLI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(11) xx xx xx xx xx xx xx  
**XX XX XX XX XX XX XX**

**107. Power of revision of the Government and the Registrar.-** (1) The Registrar, in case where action has been taken by any officer subordinate to the Registrar and the State Government, in case where action has been taken by the Registrar,

may, on their own motion or on an application of any aggrieved person, call for and examine the record of any inquiry or the proceedings of all such matters in which an action has been taken under this Act, except those in which an appeal lies to the Tribunal, for the purpose of satisfying themselves as to the legality or propriety of any decision or order passed, and as to the regularity

of the proceedings of such officer. If in any case, it appears to the State Government or the Registrar, that any decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled or reversed, the State Government or the Registrar, as the case may be, may after giving persons affected a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as it or he thinks just:

Provided that every application to the Registrar or the State Government for the exercise of the powers under this section shall be preferred within ninety days from the date on which the proceedings, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that the Registrar shall not exercise the powers under this sub-section in case in which an appeal lies to him under this Act.

**Explanation.-** For the purpose of this sub-section, every person appointed to assist the registrar and exercising all or any of the powers of the Registrar under sub-section (2) of section 4, shall be deemed subordinate to the Registrar.

(2)   xx       xx       xx       xx       xx       xx       xx  
**XX       XX       XX       XX       XX       XX       XX**

**109. Offences and punishment.-** (1) xx       xx       xx  
 (2) Every society, officer or past officer, member or past member, employee or past employee of a society, or any other person, who commits an offence under sub-section (1) shall, on conviction, be punished,-

- (a) if it is an offence under clause (a) of sub-section (1), with imprisonment of a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (b) if it is an offence under clause (b) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
- (c) if it is an offence under clause (c) of sub-section (1), with a fine which may extend to five thousand rupees;
- (d) if it is an offence under clause (d) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;



- (e) if it is an offence under clause (e) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;
- (f) if it is an offence under clause (f) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
- (g) if it is an offence under clause (g) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (h) if it is an offence under clause (h) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;
- (i) if it is an offence under clause (i) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;
- (j) if it is an offence under clause (j) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (k) if it is an offence under clause (k) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;
- (l) if it is an offence under clause (l) of sub-section (1), with fine which may extend to one thousand rupees;
- (m) if it is an offence under clause (m) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
- (n) if it is an offence under clause (n) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may

- extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;
- (o) if it is an offence under clause (o) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
  - (p) if it is an offence under clause (p) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;
  - (q) if it is an offence under clause (q) of sub-section (1), with fine which may extend to two thousand rupees;
  - (r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
  - (s) if it is an offence under clause (s) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

**XX XX XX XX XX XX XX**

**123. Power to make rules.-** (1) xx xx xx

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) to (viii) xx xx xx xx xx
- (ix) the withdrawal, removal or expulsion of members, the payments to be made to them, the liabilities of past members and the estates of deceased members;
- (x) the procedure for the nomination of a person to whom the share or interest of a member on his death may be transferred or the value thereof may be paid;

(xi) to (lxxxvii) xx xx xx xx xx

(3) xx xx xx xx xx xx xx

**XX XX XX XX XX XX XX**

**125. Power of Registrar to rescind certain resolutions.-** (1) If in the opinion of the Registrar, any resolution

passed at the meeting of any co-operative society or committee thereof is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is in excess of the powers of the society, the Registrar may, staying execution, of the resolution interinly, propose to rescind the resolution;

Provided that the Government or the Registrar shall not do anything or take action or issue any order or directive which has effect of curtailing any of the freedom or powers given under this Act to any short term co-operative credit structure society or adversely affect the provisions of this Act.

(2) In case, where the Registrar has interinly stayed execution of any resolution under sub-section (1), he shall, within a period of forty five days, send the proposal of rescinding the resolution to the Tribunal for consideration.

(3) The Tribunal shall, after giving the society an opportunity of being heard, decide upon the proposal of the Registrar and pass its final orders.

**XX      XX      XX      XX      XX      XX      XX**

**राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
विशिष्ट सचिव।

(अजय सिंह, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 8 of 2016**

**THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES  
(AMENDMENT) BILL, 2016**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**PRITHVI RAJ,  
Special Secretary.**

(Ajay Singh, **Minister-Incharge**)